राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 10/2022

मन्दिर मूर्ति श्री भैरूजी ग्राम बबाई नाबालिग जरिये अभिमित्र पुजारी झाबर पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

1. रामजीलाल पुत्र गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. श्योराम पुत्र गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. देवस्थान विभाग, सचिवालय जयपुर राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री हेमराज सिंह :– अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 08–07–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 136 के ख.नं. 566 रकबा 0.02 है., ख.नं. 567 रकबा 1.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है. मन्दिर मूर्ति भैरूजी ग्राम खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है मन्दिर मूर्ति श्री भैरूजी सास्वत नाबालिग है वाद मित्र पुजारी प्रार्थी झाबर पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी है जिससे पूर्व वाद मित्र पुजारी झाबर के पिता व दादा रहे है जो मन्दिर मूर्ति श्री भैरूजी स्थित वार्ड नं. 1 की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मन्दिर मूर्ति श्री भैरूजी के नाम से दर्ज उक्त भूमि को काश्त कर मन्दिर [illegible] पूजा अर्चना व मरम्मत वर्षों से करवाते आ रहे हैं प्रार्थी पुजारी झाबर शांतिपूर्वक मंदिर [illegible] अर्चना व उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] संगठन बना रखा है और प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित भूमि पर [illegible] की धमकी दे रहे हैं। और मौका मिलते ही प्रार्थी की आम सड़क की भूमि पर निर्माण [illegible] दुकान बनाएंगे इस ब[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जानकारी प्रार्थी पुजारी को होने पर प्रार्थी ने गांव के मौजीज लोगों को इस बारे में बताया तो अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 प्रार्थी पुजारी से व उसके परिवार से द्वेषता रखने लगे। प्रार्थी पुजारी को मन्दिर में आकर धमकी दी कि भू माफियाओं को उक्त वर्णित मन्दिर की भूमि का नोटेरी कर बेचान करेंगे। इस घटना की शिकायत दिनांक 07.01.2022 को तहसीलदार, खेतड़ी को की गई लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का हौंसला मन्दिर की भूमि को खुर्द बुर्द करने का और भी बढ़ गया। दिनांक 06.02.2022 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो बबाई से मावण्डा जाने वाली आम सड़क पर लगती हुई है पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने जे.सी.बी. मशीन से दिन के 11 बजे नींव खोदना प्रारम्भ किया व बजरी पत्थर डालना शुरू किया तो प्रार्थी पुजारी व पुजारी की माता जीवणी देवी व भाई कालू मौके पर गये और अप्रार्थी सं.1 लगा. 3 को जे.सी.बी. से नींव खोदने से रोका अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने प्रार्थी पुजारी व उसकी माता व भाई कालू के साथ लाठी, कुल्हाड़ा से मारपीट की और धमकी दी कि कहीं रिपोर्ट दी और कहीं शिकायत की तो आज तो मारपीट करके छोड़ रहे हैं आईन्दा ज्यान से खत्म कर देंगे। इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के भाई पूरण गुर्जर ने पुलिस थाना खेतड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 62/2022 दिनांक 06.02.22 को दर्ज करवाई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 को नाबालिग मन्दिर की जमीन में कच्चा पक्का निर्माण करने व बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत अवैध भी है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 यदि प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित भूमि पर कच्चा पक्का निर्माण कर लेते हैं तो नाबालिग मन्दिर को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी भूमि की उपज से मन्दिर की देख रेख, पूजा अर्चना व मरम्मत का काम वादमित्र प्रार्थी द्वारा किया जाता है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण न करें और प्रार्थी की कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें। किसी भी व्यक्ति को मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि में निर्माण करने का अधिकार नहीं है ना ही राज्य सरकार को ऐसे निर्माण का नियमन करने का अधिकार है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम बबाई स्थित खाता सं. 136 में दर्ज ख.नं. 567 रकबा 1.55 है. में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, निर्माण सामग्री नहीं डाले तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करें तथा फसल को खुर्द बुर्द नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों, अनुचरों, मजदूरों आदि से करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मन्दिर मूर्ति भैरूजी का पुजारी पहले अप्रार्थी का पिता गुल्ला था जो मन्दिर में पूजा अर्चना करता था तथा अब अप्रार्थी पूजा अर्चना करता है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी मकान बनाकर आबाद है तथा बोरिंग लगाकर जीवन यापन कर रहा है तथा प्रार्थी ग्राम प्रतापपुरा में खसरा नंबर 951 रकबा 2.35 है. भूमि पर [illegible] है तथा प्रार्थी का उक्त भूमि खसरा नंबर 566 रकबा 0.02 है. व ख.नं. 567 रकबा 1.5[illegible] कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण ने मन्दिर में उक्त भूमि का [illegible] किया है वह सिर्फ आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए कच्ची [illegible] लगाकर फसल की सुरक्षा करना चाहता है। उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रही है जो जमाबन्दी संवत् 2017–20 व 2029–32 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजियात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

मन्दिर ने कभी खुदकाश्त नहीं की पहले अप्रार्थी का पिता काबिज रहकर काश्त करता था तथा अब अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया है जो खारिज किये जाने के काबिल है।

अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 136 का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि मन्दिर श्री भैंरूजी स्थित ग्राम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मंदिर मूर्ति साश्वत नाबालिग है। उसकी भूमि पर पुजारी का काश्त कब्जा नहीं माना जा सकता है एवं मंदिर की भूमि पर यदि कोई दुसरा व्यक्ति कब्जा बनाये रखता है या नाजायज रूप से गलत रिकार्ड की आड़ में मंदिर की भूमि व उसकी फसल को काटने लाटने में व्यवधान पैदा करता है, कब्जा करता है तो असुविधा सदैव नाबालिग मंदिर मूर्ति को है। यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति यदि मंदिर की भूमि को अपने लाभ के लिए काश्त करेगा या उस पर अतिक्रमण करेगा व मंदिर की भूमि को स्वयं खातेदारी की होना क्लेम करेगा तो निश्चित रूप से क्षति प्रार्थी मंदिर को होगी। उक्त वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त व निर्माण को लेकर ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के मध्य विवाद है। इसलिए मूल वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 136 के हाल खसरा नंबर 567 रकबा 1.55 है. के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें। खसरा नंबर 567 रकबा 1.55 है. की फसल काश्त को अवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु ईंगल लगाकर तार बाड, फेंसिंग व भूमि का विकास/सुधार कार्य करने के लिए उभय पक्षकारान स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 08–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner